
Krishi Bhawan, New Delhi
Dated 11th April, 2025

Subject :- Administrative Approval of component "Supporting Dairy Cooperatives and Farmer Producer organizations engaged in dairy activities" of Central Sector Scheme "Infrastructure Development Fund (IDF)" during the 2025-26.


The undersigned is directed to convey the Administrative Approval towards implementation of component "Supporting Dairy Cooperatives and Farmer Producer organizations engaged in dairy activities" of Central Sector Scheme "Infrastructure Development Fund (IDF)" during the 2025-26 within the total allocation of Rs 500 cr during 2021-22 to 2025-26. The scheme will be implemented through National Dairy Development Board.

2. The objective of the scheme is as follows:-

- i) To assist the Cooperative Societies and farmer producer organizations engaged in dairy activities by providing soft working capital loan to tide over the crisis on account of severely adverse market conditions or natural calamities.
- ii) To provide stable market access to the dairy farmers.
- iii) To enable Cooperative Societies and farmer producer organizations engaged in dairy activities to continue to make timely payments of dues to the farmers.
- iv) To enable the cooperatives & farmer producer organizations engaged in dairy activities to procure milk at a remunerative price from the farmers, even during the flush season.

3. The scheme has two components namely, Component A; "Working Capital Loan" and Component B: "Interest subvention on Working Capital loan". Component wise guidelines of the scheme is **enclosed** herewith. The component A will be kept under suspension during 2025-26. The component "B" will be continued during 2025-26. The committed liability under Component B of the scheme during previous year shall be met during 2025-26. Proposal may be prepared and submitted as per the guidelines to National Dairy Development Board, Anand.

4 An allocation of Rs 52.25 Cr is made during 2025-26 for providing interest subvention on working capital loan to enable Cooperative Societies and farmer


SANJAY KUMAR
अवर सचिव/Under Secretary
भारत सरकार/Government of India
मंत्रालय, पशुपालन और खेती मंत्रालय
Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और खेती मिनिस्टर
Do Animal Husbandry & Dairying
मुख्यमंत्री का दस्तावेज़ - १०००१
Krishi Bhawan, New Delhi - ११०००१

producer organizations engaged in dairy activities to provide a stable market access to farmers.

5. The scheme will be driven by a High-Powered Committee chaired by Secretary (DADF). The Composition of the High-Powered Committee will be as follows:-

- a) Secretary (DAHD)- Chairman
- b) AS & FA, DAHD- member
- c) Joint Secretary/Additional Secretary (Dairy Development), DAHD- member
- d) Managing Director, National Dairy Development Board- member & convener.

6. The Implementing Agencies will submit quarterly progress reports (QPR), annual report, audit reports etc along with utilization certificate in the prescribed formats. The funds released under the project will be subjected to AG Audit of the concerned State.

7. This issues with the approval of Additional Secretary vide Dy. No. E-2162/ Note No. 833 dated 09.04.2025.

(Sanjay Kumar)

Under Secretary to the Government of India

भारत सरकार/Government of India

मंत्रालय, पशुपालन और देशी मंत्रालय

Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying

मंत्रालय, पशुपालन और देशी विभाग

D/o. Animal Husbandry & Dairying

मंत्रालय, नई इलटी-110011

Distribution:

1. Chairman, National Dairy Development Board, Anand, Gujarat
2. Chief Executive Officer, Niti Ayog, Yojana Bhawan, New Delhi
3. Principal Accounts Officer, Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, 16-A, Akbar Road Hutmants, New Delhi-110011.
4. Chief Controller of Accounts, Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, Krishi Bhawan New Delhi.
5. Accountant General, AGCR Building, New Delhi-110002
6. Principal Secretary/Secretary, Department of Animal Husbandry/Dairy Development, All States and UT's
7. Managing Director, Milk Federation, All States and UTs

Copy for kind information to:

Sr.PPS to Secretary (AHD), PPS to AS & FA, PS to AS (C&DD)/ DC (DD)/ AC (DD)/ US(Budget)/ Guard file.

(Sanjay Kumar)

Under Secretary to the Government of India

संजय कुमार

SANJAY KUMAR

Page 2

अधिकारी/Under Secretary

भारत सरकार/Government of India

मंत्रालय, पशुपालन और देशी मंत्रालय

Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying

मंत्रालय, पशुपालन और देशी विभाग

D/o. Animal Husbandry & Dairying

मंत्रालय, नई इलटी-110011

Krishna Bhawan, New Delhi-110001

01

OPERATIONAL GUIDELINES

for

Component A: "Working Capital Loan"

- i. The High Powered Committee will decide on the disbursement under the scheme.
- ii. Funds available with NDDB to be used for providing soft loans for working capital to enable Cooperative Societies and farmer producer organizations engaged in dairy activities to provide a stable market access to farmers.
- iii. **Eligible Organizations:** Cooperative Societies and farmer producer organizations (FPOs) engaged in dairy activities.
- iv. **Eligibility Criteria:** Cooperative Societies and farmer producer organizations engaged in dairy activities which fulfil the following criteria will be eligible for working capital loan from the **corpus fund**; to be repaid within nine months-
 - a. Must not be a defaulter in repayment of long term loan or working capital loan to NDDB and/or NCDC.
 - b. Past accounts, upto the previous financial year, must be attached with the loan application.
 - c. The Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of the operations to cover the total liability towards lenders should work out to a minimum of 1.25 times.
 - d. The Cooperatives and FPOs engaged in dairy activities must post Operating Profits of the last 3 consecutive financial years. 'Other income & grant' should not be considered for calculation of Operating Profit.
 - e. Current Ratio should be a minimum of 1.00. 'Non recoverable debtors' shall be excluded from debtors and 'short term loan & interest due' to be included in current liabilities in calculation of Current Ratio.
 - f. Only those Cooperative Societies and farmer producer organizations engaged in dairy activities will be eligible which have not received any element of subsidy from the State Government for milk procurement. Those States where subsidy is paid either to the State Federations or directly to the farmers for milk procurement shall not be eligible to receive working capital loan on soft terms under this scheme.

Note:-

- a. The eligible borrowers must submit their application for working capital in a prescribed format to NDDB.
- b. The details required would include month-wise details of milk procurement, liquid milk sale and milk disposed in various products for the past financial year and month-wise projected details, including projected cash flow for the financial year(s) of the working capital loan drawl and repayment.
- c. The borrower would also need to submit audited annual accounts for the last three financial years.

Page| 3


SANJAY KUMAR
अधिकारी/Under Secretary
भारत सरकार/Government of India
मछलीपालन, पशुपालन और दूधी मंत्रालय
Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और दूधी मिनिस्टर
D/o Animal Husbandry & Dairying
कृषि मंत्र, कोटा इलाहाबाद-110001

v. a) **Computation of maximum eligibility of Working Capital:** The maximum eligibility of working capital shall be assessed as per the following formula.

- i. Working capital requirement during flush months is equivalent to: $[(MPPD-LMPD) \times MPP \times 120]$ Where: MPPD = Milk Procurement Per Day in Kg LMPD = Liquid Milk sale Per Day in Kg MPP = Milk Procurement Price paid to DCS per Kg. (120 days flush period)
- ii. Working capital requirement during lean months milk procurement period is equivalent to:
Cost of powder & white butter requirement during lean procurement months (80% of the purchase value)
- iii. Net working capital requirement:
Working capital requirement assessed as per (i) and/or (ii)
Less: share capital / free reserves invested in Fixed Deposits/ Bank Accounts, etc.

b) **Maintenance, upkeep and distribution of Corpus fund:** It is proposed to create a corpus fund under NDDB through a separate designated bank account which will be audited by internal and statutory auditor of NDDB as per NDDB Act. In addition, DADF may, as and when it is deemed necessary by it, get the accounts of the corpus fund audited by CAG of India.

The High Powered Committee set under the chairmanship of Secretary (DADF) will indicate state wise allocation of working capital fund.

c) **Fund Disbursement:** Fund disbursement shall be decided by HPC. The withdrawal of funds shall commence after the borrower completes the execution of documents and other formalities relating to security coverage. The withdrawal of the sanctioned loan shall be allowed in a maximum of 4 installments depending upon the requirement of the borrower.

NDDB shall ascertain the projected cash flow and carry out financial appraisal to work out the Debt Service Coverage Ratio (DSCR).

NDDB shall convey the approval of working capital loan to the borrower through a sanction letter.

d) **Security & documentation:**

- i. Board resolution
- ii. Working Capital Loan agreement
- iii. Demand Promissory Note
- iv. Letter of Continuity
- v. Letter of Hypothecation (for first charge on stock)
- vi. Post Dated Cheques (PDCs) for repayment of principal and interest

- vii. Escrow arrangement on the operating bank account where all sale proceeds of the borrower are deposited for securing repayment in case of default.

In order to ensure that PDCs get paid on presentation, undertaking will be required from the borrower confirming that (i) the borrower will not request NDDB to withhold presentation of PDC citing any reason and (ii) the borrower will ensure adequate funds on the due date of PDC and (iii) in the eventuality of any cheque getting dishonored, the borrower will not request NDDB to abstain from taking action under section 138 of Negotiable Instruments Act.

- e) **Rate of Interest:** The rate of interest proposed to be simple interest of 5 % per annum (floating rate), which will be calculated on a monthly rest basis from the date of disbursement of loan.


The penal rate of interest in case of default in repayment will be @ 2.00% per annum over & above the normal interest to be compounded monthly or any such rate as may be specified by High Powered Committee set under the chairmanship of Secretary (DADF).

- f) **Repayment period:** The principal along with interest shall be repaid within a maximum period of nine months from the date of release of each installment.

g) **Other terms and conditions:**

The eligible organization availing subsidy shall keep NDDB informed on the following in the prescribed format:

- a) Monthly Audited Fund Utilization Statement.
- b) Monthly Stock Statement. NDDB shall physically verify the stock of commodities purchased/ converted by the borrower by availing working capital loan from NDDB. The fund utilization, stock position of commodities purchased and cash-flow will be assessed/reviewed monthly by NDDB and installments after the first shall be released only after ensuring that the borrower has utilized the previous amount as per the scheme and physical verification of stock.
- c) Interest or profit earned by NDDB on the corpus or from working capital loans will be ploughed back to the corpus. NDDB will furnish statement of account of the corpus to Govt. of India on a periodic basis.


संजय कुमार

SANJAY KUMAR
अधर सचिव/Under Secretary
भारत सरकार/Government of India
मर्द्यपालन, पशुपालन और डेयरी बंद्रालय
Min.of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
D/o Animal Husbandry & Dairying
इमारत नं. १०८-१०९, १०८-१०९

OPERATIONAL GUIDELINES
for
Component B; 'Interest Subvention on Working Capital Loan'

1. Introduction:

The "Interest subvention on working capital loan" with a total outlay of Rs. 203 crore for supporting the milk cooperatives and milk producer companies institutions to overcome problems being faced due to COVID 19 has been approved by Government of India (GoI) for FY 2020-21. This component will continue during 2025-26 under Infrastructure Development Fund (IDF). This will be implemented by Department of Animal Husbandry and Dairying (DAHD), GoI through NDDB.

Under this provision, 2% per annum interest subvention on secured/unsecured working capital loan shall be provided. This is subject to the condition that such loans meet other criteria of the scheme and also any risk of default lies with the financing institutions. For prompt and timely repayment additional 2% interest subvention will be payable at the end of the loan repayment period.

Eligible Organizations:

Producers' Owned Institutions such as Milk Federations, Milk unions, Farmer owned/ Producers' Owned Institutions will be considered for providing financial assistance under the proposed scheme. They will be termed as Participating Agencies (PA).

2. Purpose of the Scheme:

The scheme would have the following benefits:

- a) It will help in providing stable market access to milk producers.
- b) Enable the Producer Owned Institutions to make timely payment of milk bill to milk producers.
- c) Improvement in farmers' income from dairying even during flush season making the dairy operations viable for milk producers.
- d) It will help Producer Owned Institutions in supplying quality milk and milk products to consumers at a reasonable price.
- e) It will help in stabilizing the domestic market price of conserved dairy commodities.
- f) It will help in converting surplus liquid milk into conserved commodities with higher shelf life.
- g) It will lead to reduced dependency on imported commodities during the period of shortage, thereby helping in stabilising the domestic prices of milk and milk products.

3. Eligibility Criteria for the PA:

Participating Agencies fulfilling following criteria will be eligible to avail interest subvention under the scheme:



SANJAY KUMAR
भारत सरकार/Government of India
मंत्रालय, पशुपालन और उद्योग मंत्रालय
Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और उद्योग विभाग
D/o Animal Husbandry & Dairying
मुख्यमंत्री का द्वारा दिए गए अधिकार

- a) The beneficiary (i.e. PA) should have a sanctioned loan/facility for working capital borrowing (including cash credit facility) from any Scheduled Commercial Banks/ RRBs/ Cooperative Banks/financial institutions (Hereafter called FI- Financing Institution) for meeting the working capital requirement during the operational period of the Scheme.
- b) Participating Agency must be regular in repayment of loans and interest servicing to FI and has to first repay the loan installments, to avail the benefits under the scheme.
- c) Interest Subvention shall be provided for the outstanding Working Capital loan during the current financial year (1st April 2025 and 31st March 2026).
- d) Interest Subvention shall be provided on back ended basis every month by National Dairy Development Board (NDDB) to Participating Agency bank account with FI after verifying the claim.
- e) Participating agency should pay back the procurement price to farmers on a regular basis and should be able to submit proof of that.
- f) The Participating Agency should agree to provide monthly reports with day-wise details on opening, addition, reduction and closing balance of Conserved Commodities and such milk processing /operations reports as required by NDDB.

4. Role of stakeholders

DAHD, NDDB, Financial Institutions (FI), and Participating Agencies (PA) will be major stakeholders of the project and the roles of these major stakeholders are given below:

Stakeholder	Roles
DAHD, GoI/SC	<ul style="list-style-type: none"> • Approve the scheme, finalize and issue operational guidelines of the scheme. • Budget support for grant assistance for interest subvention on working capital loan. • Release of fund to NDDB for onward release to eligible Participating Agencies through respective commercial banks. • Function of HPC: <ul style="list-style-type: none"> a) Approve changes in the Scheme guidelines, as and when needed. b) Approve the criteria of funding.
NDDB Implementing Agency (IA)	<ul style="list-style-type: none"> • Identify and screen project proposals seeking interest subvention submitted by PA. • Facilitate implementation and monitoring of the scheme. • Release of subsidy (interest subvention) assistance in phases aligned with working capital loan repayment schedule to FI. • Submission of Fund Utilisation Report (FUR).


SANJAY KUMAR
 अवृत्त सचिव/Under Secretary
 भारत सरकार/Government of India
 मंत्रालय, पशुपालन, जीव उद्योगी मंत्रालय
 Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
 पशुपालन और जीवी विकास
 D/o Animal Husbandry & Dairying
 नं. 011-23316000

Bank/Working Capital financing institution(FI) (All Scheduled Commercial Banks / Regional Rural banks/ Cooperative banks/ Financial institutions as per RBI notification)	<ul style="list-style-type: none"> To verify proposals of PAs received from NDDB seeking interest subvention assistance. To ensure release of interest subvention to the respective working loan accounts of the PAs in adherence to the loan repayment schedule. To furnish the progress report on periodic basis to NDDB as per Operational Guidelines. To report non-compliant cases of PAs defaulted in repayment of working capital loan
Participating Agencies (State Dairy Federations/ Milk unions/ Milk Producer Companies/ Multi-State Cooperative Society)	<ul style="list-style-type: none"> Submit application to NDDB as per Operational Guidelines of the scheme. Follow all required procedures to avail interest subvention assistance under the scheme Share information as and when sought by DAHD/ NDDB/FI.

5. Products covered

Four conserved commodities SMP, White Butter, WMP, Ghee are covered under the scheme.

6. Application, Appraisal and Approval process

6.1 Receipt of applications

- The eligible Participating Agency (PA) shall submit application to NDDB in a prescribed format (**attached as Annex 1**) for availing interest subvention on the working Capital loan sanctioned by the FI.
- Applications shall be submitted within 45 days from the date of actual disbursement of the working capital loan and should include the copy of sanction letter and disbursement letter of Bank/FI for working capital loan/ cash credit from financial institutions.
- Following documents need to be submitted to the NDDB along with the application form.
 - Sanction letter of the Working Capital Loan along with terms and conditions, disbursement letter and copy of loan agreement.

6.2 Application assessment methods

- NDDB will screen the application submitted by PA based on the eligibility criteria prescribed in the operational guideline.
- Only eligible PAs having sanctioned secured/unsecured Working capital loan will be considered for processing under the scheme.
- Eligible interest subvention amount:** Interest subvention shall be provided maximum for 12 months in the year @ 2% per annum. Penal interest & other charges like prepayment or commitment charges, taxes or levies, if any, charged

by the Bank/FI shall not be considered while calculating the eligible interest subvention amount.

- For prompt and timely repayment additional 2% interest subvention will be payable at the end of the loan repayment period.
- The working capital loan account where all of the interest payments and/or instalments of principal were paid (through customer induced payments only) within 30 days of the due date during the tenure of the loan, would be considered as an account having prompt payment.
- The additional interest subvention may be processed immediately based on certificate from the Bank that the loan has been repaid / serviced promptly by the PA during the tenure of the loan or till 31st March, of current financial year whichever is earlier.

6.3 Process for approval

- NDDB will process the interest subvention proposals received from PAs once a month.
- NDDB will consider the recommendations for each of the proposals and accord its approval.
- NDDB shall intimate the commitment to provide interest subvention on the accepted rate to the FI and the PA.

7. Fund flow


The Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India, will release funds to the NDDB. In turn, NDDB will transfer fund to FI for onward release of eligible interest subvention amount to the respective working capital account of the Participating Agency.

8. Release of Interest subvention to PA

- PA has to submit its request for release of interest subvention in prescribed format to NDDB (**as per Annex 2**).
- The outstanding loan will be reconciled by FI with the stock of conserved commodities available with the Participating Agency.
- NDDB shall release the eligible interest subvention amount online to FI on back ended basis every month in the working capital loan account of PA after assessing the repayment of loans and interest servicing by PA. For this it may ask for interest certificate, relevant bank statement & stock statement of the conserved commodities.

9. Project monitoring and Coordination:

- Participating Agencies will submit progress report to the IA as per prescribed monitoring format (**as per Annex 2**).


SANJAY KUMAR
अधर सचिव/Under Secretary
भारत सरकार/Government of India
मंत्र्योपालग, पशुपालन और दैवी मंत्रालय
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और दैवी मंत्रालय
D/o Animal Husbandry & Dairying
काशी भवन, नई दिल्ली-110001
मोबाइल: 9810100001

- FI will also monitor stock of commodities like, SMP, White butter, WMP, Ghee etc. with eligible PAs
 - The Implementing Agency (IA) will facilitate implementation, coordination, initial screening and desk monitoring of the scheme.
 - IA will submit quarterly Fund Utilisation Report (FUR) to DAHD based on monthly progress report received from the respective FI/PA and will also provide such information on the progress of the scheme.


Sanjay Kumar
संजय कुमार
SANJAY KUMAR
अवर सचिव/Under Secretary
भारत सरकार/Government of India
मर्मस्यपालन, पशुपालन और घेयरी मंत्रालय
Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और घेयरी विभाग
D/o Animal Husbandry & Dairying
धूपिय भवन, नई दिल्ली-110001

Annex 1


Application Format
Central Sector Scheme - "Interest Subvention on Working Capital Loans for
Dairy Industry"

Date:

1 Participating Agency (PA) basic details		
Name of Participating Agency (PA)		
CEO/MD/GM (Name with designation):		
Address		
Contact details (Telephone no./email id)		
2 Financial Institution (FI) basic details		
Name of FI		
Branch name and address		
Name of Branch Manager		
Contact details (Telephone no./ email id)		
3 Participating Agency (PA) eligibility for availing interest subvention under the scheme		
Criteria		Declaration
a	Loan/facility for working capital borrowing (including cash credit facility) has been sanctioned by Scheduled Commercial Banks RRBs/ Cooperative banks/financial institutions (Hereafter called FI- Financing Institution) for meeting the working capital requirement of PA during current financial year(2025-26). (please mention yes or no, also mention loan sanction period)	
b	PA must be regular in repayment of loans and interest servicing to FI. PA has to first repay the loan instalments/interest servicing, to avail the benefits under the scheme. <i>(whether PA is regular in repayment or not, PA to attach certified account statement)</i>	
c	Participating agency should pay back the procurement price to farmers on a regular basis, and should be able to submit proof of that as and when asked for by FI/IA/DAHD. (please mention Agreed or not agreed)	
d	PA is agreeable to provide monthly reports with day-wise details on opening, addition, reduction and closing balance of Conserved Commodities and such milk processing /operations reports as required by NDDB (please mention Agreed or not agreed)	
4 Milk bill payment details		
Milk bill payment outstanding to societies/farmer (Rs. crore) as on dd/mm/yyyy.		
Last milk bill payment date (dd/mm/yyyy):		
Milk bill payment cycle (no. of days):		
5 Details of Working capital loan sanction		


 SANJAY KUMAR
 अधिकारी
 अधर सचिव/Under Secretary
 सरकार लोकल सरकार
 मंत्रालय
 मंत्रालय, पशुपालन और जैवी मंत्रालय
 Minister of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
 पशुपालन और जैवी विभाग
 D/o Animal Husbandry & Dairying
 कार्यालय कोड 11/2001

Date of sanction (dd/mm/yyyy)	
Loan amount (Rs. Lakh)	
Purpose of Loan	
Details of Security offered (please mention details)	
Rate of interest charged excluding penal interest charges (% per annum)	
Period of Loan	
Date of availing Working Capital Loan	
Repayment Cycle (monthly/quarterly/Annual)	
No. of instalment repaid	
Working capital loan provided against the stock of SMP/WMP/White Butter/Ghee - Rs lakh	
Working capital loan is secured by mean of hypothecation of stocks or any other means, please specify.	
6 Interest Subvention Scheme Assistance	
Loan amount considered for Interest subvention Scheme	
Period for Interest subvention required (latest upto 31st March of each financial year), whichever is earlier.	
Proposed interest subvention amount sought under the Scheme(Rs. Lakh)	
7 Details of bank account to which interest subvention amount will be credited	
Bank Account No.	
IFSC Code	
<p>It is requested to kindly consider our application under the Central Sector Scheme - "Interest Subvention on Working Capital Loans for Dairy Industry" and approve eligible interest subvention for the approved working capital loan. We shall abide by rules, terms and conditions as described in the scheme guideline and any revision thereof.</p> <p>Enclosure: 1) Working Capital Loan sanction letter along with terms and conditions and loan agreement copy.</p> <p>Declaration: We certify that the information submitted in this application is true and correct to the best of our knowledge. We further understand that any false/incorrect statements may result in denial/revocation/refund of ineligible/total subvention amount of the interest subvention amount under the scheme and may invite punitive legal action.</p>	
Date: Place:	
Applied by: MD/CEO/GM Name of PA	


SANJAY KUMAR
अवकाश सचिव/Under Secretary
भारत सरकार/Government of India
मर्त्यपालन, पशुपालन और डेको मंत्रालय
Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेको मंत्रालय
D/o Animal Husbandry & Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Krisht Bhawan, New Delhi-110001

Request for Release of Interest Subvention
Central Sector Scheme - "Interest Subvention on Working Capital Loans for Dairy Industry"

Quarter: _____		Date: / /
1	Reference interest subvention Sanction letter no. and date	
2	Name of Participating Agency (PA)	
3	Financial Institution (FI) Branch name	
4 Milk bill payment details of PA		
Milk bill payment outstanding to societies/farmer (Rs. crore) as on dd/mm/yyyy.		
Last milk bill payment date (dd/mm/yyyy):		
Milk bill payment cycle (no. of days):		
5 Monthly Conserved commodity stock statement (Rs. Lakh)		
Stock valuation date (dd/mm/yyyy)		
Conserved commodity		Month
SMP	Opening stock (MT)	
	Rate (Rs. per Kg)	
	Value (Rs. Lakh)	
WMP	Opening stock (MT)	
	Rate (Rs. per Kg)	
	Value (Rs. Lakh)	
WB	Opening stock (MT)	
	Rate (Rs. per Kg)	
	Value (Rs. Lakh)	
Ghee	Opening stock (MT)	
	Rate (Rs. per Kg)	
	Value (Rs. Lakh)	
Total value (Rs. Lakh)		
6 Loan repayment details		
Drawing power limit given to PA against stock value(Rs lakh)		
Limit availed by PA (Rs. Lakh) - Opening		
Withdrawal during the month (Rs lakh)		
Interest amount due for the month		
Repayment during month (Rs. Lakh)	Principal	
	Interest (excluding penal interest & other charges)	
	Total	
Interest repaid during the month		
Loan outstanding (Rs. Lakh)-closing		
Eligible loan outstanding amount under the scheme (Rs. lakh)		
Eligible Interest subvention (Rs lakh)		
7	Proposed interest subvention amount sought under the Scheme (Rs. Lakh)	0.00

SANJAY KUMAR

अधिकारी सचिव/Under Secretary

भारत सरकार/Government of India

मन्त्रालय, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying

पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

D/o Animal Husbandry & Dairying

कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली-110001

It is requested to kindly release the eligible interest subvention amount for the month _____
 _____ to _____
 under the Central Sector Scheme - "Interest Subvention on Working Capital Loans for
 Dairy Industry". It is certified that the repayment of interest due till the month has already
 been done.

Declaration:

We certify that the information submitted in this application is true and correct to the best
 of my knowledge. We further understand that any false/incorrect statements may result
 in denial/ revocation/refund of ineligible amount of the interest subvention amount under
 the scheme and may invite punitive legal action.

Applied by:	Recommended by:
MD/CEO/G M Name of PA	Branch Manager Bank Name & address


 SANJAY KUMAR
 अवर सचिव/Under Secretary
 मान्त्र सरकार/Government of India
 मल्यपालन, पशुपालन और जैवी चंत्रालय
 Min.of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
 पशुपालन अधिकारी कार्यालय
 D/o Animal Husbandry & Dairying
 काशी भवन, नई दिल्ली-110001
 Kt.

फा. सं. 22-11/2015-डीपी {एम-02023/2/2016-डेयरी_प्रभाग (ई-2162)}

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 11 अप्रैल, 2025

विषय:- वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजना “अवसंरचना विकास निधि (आईडीएफ)” के “डेयरी कार्यकलापों में लगी राज्य डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादन संगठनों को सहायता” घटक का प्रशासनिक अनुमोदन।

अधोहस्ताक्षरी को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान 500 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के भीतर वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र की योजना “अवसंरचना विकास निधि (IDF)” के घटक “डेयरी कार्यकलापों में लगी राज्य डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादन संगठनों को सहायता” के कार्यान्वयन से संबंधित प्रशासनिक अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है। यह योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से लागू की जाएगी।

2. योजना के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- i. गंभीर रूप से प्रतिकूल बाजार परिस्थितियों अथवा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले संकट से निपटने के लिए सुलभ कार्यशील पूंजीगत ऋण प्रदान करके डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों की सहायता करना।
- ii. डेयरी किसानों को स्थायी बाजार पहुंच प्रदान करना।
- iii. डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के बकाये का निरंतर समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाना।
- iv. डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को किसानों से फलश सीजन के दौरान भी लाभकारी मूल्य पर दूध खरीदने में सक्षम बनाना।

3. योजना के दो घटक हैं नामतः घटक ‘क’ “कार्यशील पूंजीगत ऋण” और घटक ‘ख’ “कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन”। योजना के घटक-वार दिशानिर्देश इसके साथ संलग्न हैं। घटक ‘क’ वर्ष 2025-26 के दौरान स्थगित रखा जायेगा। घटक ‘ख’ वर्ष 2025-26 के दौरान जारी रहेगा। योजना के घटक ‘ख’ के तहत प्रतिबद्ध देयता को वर्ष 2025-26 के दौरान पूरा किया जायेगा। दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया जाए और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आंणद को प्रस्तुत किया जाए।

4. किसानों को स्थायी बाजार पहुंच प्रदान करने हेतु डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्रदान करने के लिए 52.25 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है।

संजय कुमार
SANJAY KUMAR

अवर सचिव/Under Secretary

भारत सरकार/Government of India

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

Min. of Fish, Animal Husbandry & Dairying

पशुपालन और डेयरी विभाग

D/o A.O., Animal Husbandry & Dairying

पृष्ठा 110001 से 110001

Krishna Bhawan, New Delhi-110001

लंकुना।

5. योजना, सचिव (डीएडीएफ) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा संचालित की जाएगी। उच्च स्तरीय समिति की संरचना इस प्रकार होगी:-

- क. सचिव (डीएचडी)- अध्यक्ष
- ख. एस एंड एफए, डीएचडी- सदस्य
- ग. संयुक्त सचिव/अपर सचिव (डेयरी विकास), डीएचडी-सदस्य
- घ. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड- सदस्य और संयोजक

6. कार्यान्वयन एजेंसियां निर्धारित प्रोफार्मा में तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर), वार्षिक रिपोर्ट, लेखा रिपोर्ट आदि के साथ-साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगी। परियोजना के तहत जारी निधियां संबंधित राज्य के एजी ऑडिट के अधीन होंगी।

7. इसे डायरी सं. ई-2162/नोट 833 दिनांक 09.04.2025 के द्वारा अपर सचिव के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(संजय कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

SANJAY KUMAR
अवर सचिव/Under Secretary
भारत सरकार/Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
D/o Animal Husbandry & Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

वितरण:

1. अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद, गुजरात
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
3. प्रधान लेखा अधिकारी, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग 16-ए, अकबर रोड हटमेंट्स, नई दिल्ली-110011
4. मुख्य लेखा नियंत्रक, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
5. महालेखाकार, एजीसीआर बिल्डिंग, नई दिल्ली-110002
6. प्रधान सचिव/सचिव, पशुपालन/डेयरी विकास विभाग, सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र
7. प्रबंध निदेशक, दुग्ध परिसंघ, सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

सूचनार्थ प्रति:

सचिव (एचडी) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, एस और एफए के प्रधान निजी सचिव, संयुक्त सचिव (सी एंड डीडी) के निजी सचिव/उपायुक्त (डीडी)/ सहायक आयुक्त (डीडी)/अवर सचिव (बजट)/गार्ड फाईल

(संजय कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

SANJAY KUMAR
अवर सचिव/Under Secretary
भारत सरकार/Government of India
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और डेयरी विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
D/o Animal Husbandry & Dairying
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Krishi Bhawan, New Delhi-110001

घटक क : "कार्यशील पूंजीगत ऋण"
के लिये
परिचालन दिशानिर्देश

- i- उच्चाधिकार प्राप्त समिति योजना के तहत संवितरण पर निर्णय करेगी।
- ii- डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को किसानों को एक स्थिर बाजार पहुंच प्रदान करने में सक्षम करने के लिए एनडीडीबी के पास उपलब्ध निधियों का उपयोग कार्यशील पूंजी हेतु सुलभ ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
- iii- **पात्र संगठन:** डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)।
- iv- **पात्रता मानदंड:** डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे कॉर्पस फंड से नौ महीने के भीतर चुकाए जाने वाले कार्यशील पूंजी ऋण के लिए पात्र होंगे—
 - क. एनडीडीबी और/या एनसीडीसी को दीर्घकालिक ऋण या कार्यशील पूंजी ऋण चुकाने में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
 - ख. पिछले वित्तीय वर्ष तक के पिछले खाते, ऋण आवेदन के साथ संलग्न होने चाहिए।
 - ग. ऋणदाताओं के प्रति कुल देयता को कवर करने के लिए परिचालनों का ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) कम से कम 1.25 गुना होना चाहिए।
 - घ. डेयरी कार्यकलापों में लगी सहकारी समितियों और एफपीओ को पिछले 3 लगातार वित्तीय वर्षों के परिचालन लाभ को, पोस्ट करना होगा। परिचालन लाभ की गणना के लिए 'अन्य आय और अनुदान' पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
 - ड. वर्तमान अनुपात न्यूनतम 1.00 होना चाहिए। 'गैर-वसूली योग्य देनदार' को देनदारों से बाहर रखा जाएगा और 'अल्पकालिक ऋण और देय ब्याज' को चालू अनुपात की गणना में वर्तमान देनदारियों में शामिल किया जाएगा।
 - च. डेयरी कार्यकलापों में लगी केवल वे सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन पात्र होंगे, जिन्हें दूध खरीद के लिए राज्य सरकार से सब्सिडी का कोई तत्व प्राप्त नहीं हुआ है। वे राज्य जहां दूध खरीद के लिए या तो राज्य संघों को या सीधे किसानों को सब्सिडी का भुगतान किया जाता है, वे इस योजना के तहत सुलभ शर्तों पर कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।

नोट:

- क. पात्र उधारकर्ताओं को कार्यशील पूंजी के लिए अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में एनडीडीबी को प्रस्तुत करना होगा।
- ख. आवश्यक विवरण में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए दूध की खरीद, तरल दूध की बिक्री और विभिन्न उत्पादों में निपटाए गए दूध के महीने-वार विवरण और कार्यशील पूंजी ऋण के आहरण और चुकौती वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित नकदी प्रवाह सहित महीने-वार अनुमानित विवरण शामिल होंगे।
- ग. उधारकर्ता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित वार्षिक खाते भी जमा करने होंगे।


SANJAY KUMAR
 अवर सचिव / Under Secretary
 भारत सरकार / Government of India
 मरुपालन, पशुपालन और जंगली मंत्रालय
 Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
 पशुपालन और जंगली विधान
 D/o Animal Husbandry & Dairying
 कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

v- क) कार्यशील पूंजी की अधिकतम पात्रता की गणना: कार्यशील पूंजी की अधिकतम पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाएगा।

- i- दूध की अधिकता वाले (फलश) महीनों के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता [(एमपीपीडी-एलएमपीडी) X एमपीपी X 120]: एमपीपीडी = प्रति दिन दूध की खरीद किलो में, एलएमपीडी = प्रति दिन तरल दूध की बिक्री किलो में एमपीपी = डीसीएस द्वारा खरीदे गए प्रति किलोग्राम दूध का मूल्य (120 दिन फलश अवधि)
- ii- दूध की कमी वाले दूध खरीद महीनों की अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता निम्नलिखित के बराबर है:
कम खरीद महीनों के दौरान अपेक्षित पाउडर और सफेद मक्खन की लागत (खरीद मूल्य का 80%)
- iii- शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता:
(i) और / या (ii) के अनुसार निर्धारित कार्यशील पूंजी की आवश्यकता
घटाएः: शेयर पूंजी / सावधि जमा / बैंक खातों आदि में निवेशित मुक्त भंडार (फ्री रिजर्व)

ख) कॉर्पस फंड का रखरखाव, अनुरक्षण और संवितरण: एनडीडीबी के तहत एक अलग नामित बैंक खाते के माध्यम से एक कॉर्पस फंड बनाने का प्रस्ताव है, जिसे एनडीडीबी अधिनियम के अनुसार एनडीडीबी के आंतरिक और वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट किया जाएगा। इसके अलावा, डीएडीएफ, जब भी आवश्यक समझे, भारत के सीएजी द्वारा कार्पस फंड के खातों की लेखापरीक्षा करवा सकता है।

सचिव (डीएडीएफ) की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति कार्यशील पूंजी निधि के राज्यवार आवंटन दर्शाएगी।

ग) निधि संवितरण: निधि संवितरण का निर्णय एचपीसी द्वारा किया जाएगा। उधारकर्ता द्वारा सुरक्षा कवरेज से संबंधित दस्तावेजों और अन्य औपचारिकताओं के निष्पादन को पूरा करने के बाद निधि की निकासी शुरू होगी। संस्वीकृत ऋण की निकासी की अनुमति उधारकर्ता की आवश्यकता के आधार पर अधिकतम 4 किस्तों में दी जाएगी। एनडीडीबी अनुमानित नकदी प्रवाह का पता लगाएगा और ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) निर्धारित करने के लिए वित्तीय मूल्यांकन करेगा। एनडीडीबी एक संस्वीकृति पत्र के माध्यम से उधारकर्ता को कार्यशील पूंजी ऋण संबंधी अनुमोदन से अवगत कराएगा।

घ) सुरक्षा और दस्तावेजीकरण:

- i- बोर्ड रिजॉल्यूशन
- ii- कार्यशील पूंजीगत ऋण अनुबंध
- iii. डिमांड प्रॉमिसरी नोट
- iv- निरंतरता पत्र (लेटर ऑफ कंटिन्यूटी)
- v- दृष्टिबंधक पत्र (लेटर ऑफ हाइपोथीकेशन) (स्टॉक पर प्रथम प्रभार के लिए)
- vi- मूलधन और ब्याज की चुकौती के लिए पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)

vii- ऑपरेटिंग बैंक खाते पर एस्क्रो व्यवस्था जहां डिफॉल्ट के मामले में चुकौती सुरक्षित करने के लिए उधारकर्ता की सभी बिक्री आय जमा की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीडीसी प्रस्तुत करने पर भुगतान मिलता है, उधारकर्ता से इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि (i) उधारकर्ता एनडीडीबी से किसी भी कारण का हवाला देते हुए पीडीसी की प्रस्तुति को रोकने का अनुरोध नहीं करेगा और (ii) उधारकर्ता पीडीसी की देय तारीख पर पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करेगा और (iii) किसी भी चेक के अनादरित होने की स्थिति में, उधारकर्ता एनडीडीबी से परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई करने से परहेज करने का अनुरोध नहीं करेगा।

ड.) ब्याज दर: प्रस्तावित ब्याज दर 5% प्रति वर्ष (अस्थायी दर) का साधारण ब्याज है, जिसकी गणना ऋण के वितरण की तारीख से मासिक अंतराल आधार पर की जाएगी।

अदायगी में चूक के मामले में ब्याज की दंडात्मक दर मासिक चक्रवृद्धि ब्याज पर सामान्य ब्याज के ऊपर और अतिरिक्त 2.00% प्रति वर्ष की दर पर होगा या सचिव (डीएडीएफ) की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली किसी ऐसी दर के अनुसार होगा।

च) अदायगी अवधि: ब्याज के साथ मूलधन का भुगतान प्रत्येक किस्त जारी होने की तारीख से अधिकतम नौ महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा।

छ) अन्य निबंधन और घर्ते:

सब्सिडी प्राप्त करने वाले पात्र संगठन एनडीडीबी को निम्नलिखित के बारे में निर्धारित प्रारूप में सूचित करते रहेंगे:

क) मासिक ऑडिटेड फंड यूटिलाइजेशन स्टेटमेंट।

ख) मासिक स्टॉक स्टेटमेंट। एनडीडीबी, एनडीडीबी से कार्यशील पूँजी ऋण प्राप्त करके उधारकर्ता द्वारा खरीदी/परिवर्तित वस्तुओं के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करेगा। निधि का उपयोग, खरीदी गई वस्तुओं की स्टॉक स्थिति और नकदी प्रवाह का एनडीडीबी द्वारा मासिक मूल्यांकन/समीक्षा की जाएगी और पहली के बाद अन्य किश्तों का केवल यह सुनिश्चित करने के बाद कि उधारकर्ता ने योजना के अनुसार पिछली राशि का उपयोग किया है और स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने के बाद जारी किया जाएगा।

ग) एनडीडीबी द्वारा कॉर्पस पर या कार्यशील पूँजी ऋण से अर्जित ब्याज या लाभ को कॉर्पस में वापस रख दिया जाएगा। एनडीडीबी आवधिक आधार पर इस निधि के खाते का विवरण भारत सरकार को प्रस्तुत करेगा।


 SANJAY KUMAR
 अधर सचिव/Under Secretary
 भारत सरकार/Government of India
 मर्ग्यपालन, पशुपालन और डेवरी मंत्रालय
 Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
 पशुपालन और डेवरी विभाग
 D/o Animal Husbandry & Dairying
 मुमिल अम्ब नं. 110001
 दिल्ली-110001

घटक ख : "कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेशन"
के लिये
परिचालन दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना:

"कार्यशील पूंजीगत ऋण पर ब्याज सबवेशन" को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए "कोविड-19" के कारण आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए दुग्ध सहकारी समितियों और दूध उत्पादक कंपनियों संस्थानों को समर्थन देने के लिए 203 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। यह घटक अवसंरचना विकास निधि (आईडीएफ) के तहत वर्ष 2025-26 के दौरान जारी रहेगा। इसे एनडीडीबी के माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग (डीएचडी), भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

इस प्रावधान के तहत सुरक्षित/ असुरक्षित कार्यशील पूंजीगत ऋण पर प्रतिवर्ष 2% ब्याज सबवेशन प्रदान किया जाएगा। यह इस शर्त के अधीन है कि इस तरह के ऋण, योजना के अन्य मानदंडों को पूरा करते हैं और डिफॉल्ट का कोई भी जोखिम निधियन संस्थानों के पास है। शीघ्र और समय पर अदायगी के लिए ऋण चुकौती अवधि के अंत में अतिरिक्त 2% ब्याज सबवेशन देय होगा।


पात्र संस्थाएं:

प्रस्तावित योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दुग्ध परिसंघों, दुग्ध संघों, किसान स्वामित्व वाली/ दुग्ध उत्पादक कंपनियों जैसे उत्पादकों के स्वामित्व वाले संस्थानों पर विचार किया जाएगा। उन्हें भाग लेने वाली एजेंसियां (पीए) कहा जाएगा।

2. योजना का उद्देश्य:

योजना के निम्नलिखित लाभ होंगे:

- क) यह दूध उत्पादकों को स्थिर बाजार पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा।
- ख) उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को दुग्ध उत्पादकों को दूध के बिल का समय पर भुगतान करने में सक्षम बनाना।
- ग) फलश सीजन के दौरान भी डेयरी से किसानों की आय में सुधार और डेयरी व्यवसाय को दुग्ध उत्पादकों के लिए व्यवहार्य बनाना।
- घ) यह उत्पादकों के स्वामित्व वाली संस्थाओं को उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति करने में मदद करेगा।
- ङ) यह संरक्षित डेयरी वाली वस्तुओं के घरेलू बाजार मूल्य को स्थिर करने में मदद करेगा।
- च) यह अधिशेष तरल दूध को उच्च शेल्फ लाइफ वाली संरक्षित वस्तुओं में परिवर्तित करने में मदद करेगा।
- छ) यह कमी की अवधि के दौरान आयातित वस्तुओं पर निर्भरता को कम करेगा, जिससे दूध और दूध उत्पादों की घरेलू कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी।


संजय कुमार
SANJAY KUMAR
अवर सॉफिस्ट/Under Secretary
भारत सरकार/Government of India
मंत्रालय, पशुपालन व लैंगरी भवित्वालय
Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन व लैंगरी विभाग
D/o Animal Husbandry & Dairying
फॉर्म नं. ३३, नई दिल्ली-११०००१
१

3. भागीदारी एजेंसियों (पीए)के लिए पात्रता मानदंडः

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली भाग लेने वाली एजेंसियां योजना के तहत ब्याज सबवेंशन का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगी:

- क) लाभार्थी (अर्थात् पीए) के पास योजना की परिचालन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों/वित्तीय संस्थानों (इसके बाद एफआई—वित्तीय संस्थान के रूप में संदर्भित हैं) से संस्थीकृत ऋण/ कार्यशील पूंजी उधार (नकद ऋण सुविधा सहित) संबंधी सुविधा होनी चाहिए।

ख) भाग लेने वाली एजेंसी को, एफआई को ऋण और ब्याज की अदायगी में नियमित होना चाहिए और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पहले ऋण की किश्त चुकानी होगी।

ग) चालू वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल 2025 और 31 मार्च 2026) के दौरान बकाया कार्यशील पूंजीगत ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा।

घ) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा हर महीने एफआई के साथ भागीदार एजेंसी के बैंक खाते में दावे का सत्यापन करने के बाद बैंक एंडेड आधार पर ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जाएगा।


ङ) भाग लेने वाली एजेंसी को नियमित आधार पर किसानों को खरीद मूल्य का भुगतान करना चाहिए और इसका प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।

च) भाग लेने वाली एजेंसी को संरक्षित वस्तुओं के ओपनिंग, एडीशन, रिडक्शन और समापन शेष संबंधी दिन-वार विवरण के साथ मासिक रिपोर्ट तथा एनडीडीबी द्वारा अपेक्षित ऐसी दूध प्रसंस्करण/ संचालन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए सहमत होना चाहिए।

4. हितधारकों की भमिका

डीएएचडी, एडीडीबी, वित्तीय संस्थान (एफआई), और प्रतिभागी एजेंसियां (पीए) परियोजना के प्रमुख हितधारक होंगे और इन प्रमुख हितधारकों की भूमिकाएँ नीचे दी गई हैं:

हितधारक	भूमिकाएं
डीएचडी भारत सरकार / एससी	<ul style="list-style-type: none"> योजना का अनुमोदन, योजना के संचालन संबंधी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देना और जारी करना। कार्यशील पूँजी ऋण पर ब्याज सबवेशन हेतु अनुदान सहायता के लिए बजट सहायता। संबंधित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से पात्र प्रतिभागी एजेंसियों को आगे जारी करने के लिए एनडीडीबी को निधि जारी करना। एचपीसी का कार्य: <ul style="list-style-type: none"> क) जब भी जरुरत हो, योजना के दिशा-निर्देशों में बदलाव को मंजूरी देना। ख) वित्त पोषण के मानदंडों को मंजूरी
एडीडीबी कार्यान्वयन एजेंसी (आईए)	<ul style="list-style-type: none"> पीए द्वारा प्रस्तुत ब्याज सबवेशन की मांग करने वाले परियोजना प्रस्तावों की पहचान और स्क्रीनिंग। योजना के कार्यान्वयन और निगरानी को सुगम बनाना। वित्तीय संस्था (एफआई) को कार्यशील पूँजी ऋण अदायगी अनुसूची के अनुरूप चरणों में सबिसडी (ब्याज सबवेशन) सहायता जारी करना। निधि उपयोगिता रिपोर्ट (एफयूआर) जमा करना।
बैंक / कार्यशील	<ul style="list-style-type: none"> ब्याज सबवेशन सहायता के लिए एनडीडीबी से प्राप्त पीए



<p>पूंजी वित्तपोषण संस्थान (एफआई) (आरबीआई अधिसूचना के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / सहकारी बैंक / वित्तीय संस्थान)</p>	<ul style="list-style-type: none"> के प्रस्तावों का सत्यापन करना। ऋण अदायगी अनुसूची के अनुपालन में पीए के संबंधित कार्यशील ऋण खातों में ब्याज सबवेंशन जारी करना सुनिश्चित करना। परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार एनडीडीबी को आवधिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना। कार्यशील पूंजी ऋण के पुनर्भुगतान में चूक करने वाले पीए के गैर-अनुपालन मामलों की रिपोर्ट करना।
<p>भाग लेने वाली एजेंसियां (राज्य डेयरी परिसंघ / दुग्ध संघ / दुग्ध उत्पादक कंपनियां / बहु-राज्य सहकारी समिति)</p>	<ul style="list-style-type: none"> योजना के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार एनडीडीबी को आवेदन जमा करना। योजना के तहत ब्याज सबवेंशन सहायता प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना। डीएचडी / एनडीडीबी / एफआई द्वारा जब भी जो भी जानकारी मांगी जाए उसे साझा करना।

5. शामिल उत्पाद

योजना के तहत चार संरक्षित वस्तुएं एसएमपी, सफेद मक्खन, डब्ल्यूएमपी, घी शामिल हैं।

6. आवेदन, मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया

6.1 आवेदन की प्राप्ति

- पात्र प्रतिभागी एजेंसी (पीए) वित्तीय संस्था द्वारा संस्वीकृत कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन प्राप्त करने के लिए एनडीडीबी को निर्धारित प्रारूप (अनुबंध 1 के रूप में संलग्न) में आवेदन प्रस्तुत करेगी।
- कार्यशील पूंजी ऋण के वास्तविक संवितरण की तारीख से 45 दिनों के भीतर आवेदन जमा किए जाने चाहिए और इसमें वित्तीय संस्थाओं से कार्यशील पूंजी ऋण / नकद ऋण के लिए बैंक / वित्तीय संस्था के संस्वीकृति पत्र और संवितरण पत्र की प्रति शामिल होनी चाहिए।
- आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज एनडीडीबी को जमा करने होंगे।
 - नियम और शर्तों के साथ कार्यशील पूंजी ऋण का संस्वीकृति पत्र, संवितरण पत्र और ऋण अनुबंध की प्रति।

6.2 आवेदन के मूल्यांकन की प्रक्रिया

- एनडीडीबी परिचालन दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर पीए द्वारा जमा किए गए आवेदनों की जांच करेगा।
- योजना के तहत प्रक्रिया के लिए केवल पात्र पीए जिनके पास सुरक्षित/अरक्षित कार्यशील पूंजी ऋण संस्वीकृत है, पर विचार किया जाएगा।
- पात्र ब्याज सबवेंशन राशि: ब्याज सबवेंशन, वर्ष में अधिकतम 12 महीनों के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से प्रदान किया जाएगा। दंडात्मक ब्याज और अन्य शुल्क जैसे पूर्व भुगतान या प्रतिबद्धता शुल्क, कर या लेवी, यदि कोई हो, जो बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा लगाया जाता है, पर पात्र ब्याज सबवेंशन राशि की गणना करते समय विचार नहीं किया जाएगा।

- शीघ्र और समय पर चुकौती के लिए ऋण चुकौती अवधि के अंत में अतिरिक्त 2% ब्याज सबवेंशन

संक्षेप
100

रांजय कुमार
SANJAY KUMAR
अधिकारी Under Secretary

भारत सरकार / Government of India
मंत्रालय, पशुपालन व विद्युतीय विनियोग
Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying

पशुपालन और उत्पादन विभाग
D/o Animal Husbandry & Dairying

कुर्सी भवन, नई दिल्ली-110001

पृष्ठा 100 | पृष्ठा 100

- कार्यशील पूंजी ऋण खाता जहां ऋण की अवधि के दौरान देय तिथि के 30 दिनों के भीतर सभी व्याज भुगतान और / या मूलधन की किश्तों का भुगतान (केवल ग्राहक प्रेरित भुगतान के माध्यम से) किया गया था, उसे तत्काल भुगतान वाले खाते के रूप में माना जाएगा।
- अतिरिक्त व्याज सबवेंशन को बैंक से प्रमाण पत्र के आधार पर तुरंत संसाधित किया जा सकता है कि पीए द्वारा ऋण की अवधि के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, जो भी पहले हो, ऋण तुरंत चुकाया गया/भुगतान किया गया है।

6.3 अनुमोदन की प्रक्रिया

- एनडीडीबी पीए से प्राप्त व्याज सबवेंशन प्रस्तावों पर महीने में एक बार कार्यवाई करेगा।
- एनडीडीबी प्रत्येक प्रस्ताव की सिफारिशों पर विचार करेगा और अपना अनुमोदन प्रदान करेगा।
- एनडीडीबी एफआई और पीए को स्वीकृत दर पर व्याज सबवेंशन प्रदान करने की प्रतिबद्धता के बारे में सूचित करेगा।

7. निधि प्रवाह


पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार, एनडीडीबी को निधियां जारी करेगा। बदले में, एनडीडीबी भाग लेने वाली एजेंसी के संबंधित कार्यशील पूंजी खाते में पात्र व्याज सबवेंशन राशि जारी करने के लिए एफआई को फंड ट्रांसफर करेगा।

8. पीए को व्याज सबवेंशन जारी करना

- पीए को एनडीडीबी को निर्धारित प्रारूप में (अनुबंध 2 के अनुसार) व्याज सबवेंशन जारी करने के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।
- वित्तीय संस्था द्वारा बकाया ऋण का मिलान भाग लेने वाली एजेंसी के पास उपलब्ध संरक्षित वस्तुओं के स्टॉक के साथ किया जाएगा।
- एनडीडीबी, पीए के कार्यशील पूंजी ऋण खाते में पीए द्वारा ऋण की अदायगी और व्याज सर्विसिंग का आकलन करने के बाद हर महीने बैंक एंडेड आधार पर एफआई को पात्र व्याज सबवेंशन राशि ऑनलाइन जारी करेगा। इसके लिए यह संरक्षित वस्तुओं का व्याज प्रमाण पत्र, प्रासंगिक बैंक विवरण और स्टॉक विवरण मांग सकता है।

9. परियोजना निगरानी और समन्वय:

- भाग लेने वाली एजेंसियां निगरानी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (अनुबंध 2 के अनुसार) के अनुसार आईए को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
- वित्तीय संस्था, (एफआई) पात्र पीए के साथ एसएमपी, व्हाइट बटर, डब्ल्यूएमपी, घी आदि वस्तुओं के स्टॉक की निगरानी भी करेगी।
- कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) योजना के कार्यान्वयन, समन्वय, प्रारंभिक जांच और डेस्क निगरानी की सुविधा प्रदान करेगी।
- आईए संबंधित वित्तीय संस्था/पीए से प्राप्त मासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर डीएचडी को त्रैमासिक निधि उपयोग रिपोर्ट (एफयूआर) प्रस्तुत करेगी और योजना की प्रगति संबंधी ऐसी जानकारी भी प्रदान करेगी।



आवेदन पत्र का प्रारूप केंद्रीय क्षेत्र की योजना – “डेयरी उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन”		
दिनांक / /		
1	भाग लेने वाली एजेंसी (पीए) का मूल विवरण	
	भाग लेने वाली एजेंसी का नाम (पीए)	
	सीईओ/ एमडी/ जीएम (पदनाम सहित नाम):	
	पता	
	संपर्क विवरण (टेलीफोन नंबर/ईमेल आईडी)	
2	वित्तीय संस्थान (एफआई) का मूल विवरण	
	वित्तीय संस्था का नाम	
	शाखा का नाम और पता	
	शाखा प्रबंधक का नाम	
	संपर्क विवरण (टेलीफोन नंबर/ईमेल आईडी)	
3	योजना के तहत ब्याज सबवेंशन का लाभ उठाने के लिए प्रतिमागी एजेंसी (पीए) की पात्रता	
	मानदंड	घोषणा
	क चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) के दौरान पीए की कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों आरआरबी / सहकारी बैंकों / वित्तीय संस्थानों (बाद में एफआई-वित्तीय संस्थान कहा गया है) द्वारा कार्यशील पूंजी उधार (नकद ऋण सुविधा सहित) के लिए एक ऋण / सुविधा संस्वीकृत की गई है। (कृपया हाँ या ना का उल्लेख करें, ऋण संस्वीकृति अवधि का भी उल्लेख करें)	
ख	पीए को एफआई को ऋणों की चुकौती और ब्याज की चुकौती में नियमित होना चाहिए। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पीए को पहले ऋण की किश्तों/ब्याज की चुकौती करनी होगी। (क्या पीए नियमित है या नहीं, पीए प्रमाणित खाता विवरण संलग्न करें)	
ग	भाग लेने वाली एजेंसी को नियमित आधार पर किसानों को खरीद मूल्य का भुगतान करना चाहिए, और एफआई/आईए/डीएचडी द्वारा मांगे जाने पर इसका प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। (कृपया सहमत हैं या नहीं का उल्लेख करें)	
घ	पीए संरक्षित वस्तुओं की क्लोनिंग, एडीशन, रिडक्शन और समापन शेष पर दिन-वार विवरण के साथ मासिक रिपोर्ट और एनडीडीबी द्वारा अपेक्षित दूध प्रसंस्करण / संचालन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए सहमत हैं (कृपया सहमत हैं या नहीं का उल्लेख करें)	
4	दूध बिल के भुगतान का विवरण	
	दिनांक/माह/वर्ष की स्थिति के अनुसार सोसाइटियों/किसानों को दूध बिल का बकाया भुगतान (करोड़ रुपये)	
	अंतिम दूध बिल के भुगतान की तिथि (दिन/माह/वर्ष):	
	दूध बिल भुगतान चक्र (दिनों की संख्या):	

5	कार्यशील पूंजीगत ऋण संस्वीकृति का विवरण	
	संस्वीकृति की तिथि (दिन/माह/वर्ष)	
	ऋण राशि (लाख रु.)	
	ऋण का उद्देश्य	
	प्रस्तावित सिक्योरिटी का विवरण (कृपया विवरण दे)	
	दंडात्मक ब्याज प्रभारों को छोड़कर प्रभारित ब्याज दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)	
	ऋण की अवधि	
	कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की तिथि	
	चुकौती चक्र (मासिक/तिमाही/वार्षिक)	
	चुकाई गई किस्तों की संख्या	
	एसएमपी/डब्ल्यूएमपी/व्हाइट बटर/घी के स्टॉक के बदले प्रदान किया गया कार्यशील पूंजीगत ऋण – लाख रुपये	
	स्टॉक के हाइपोथेफिकेशन या किसी अन्य माध्यम से कार्यशील पूंजी ऋण सुरक्षित है, कृपया निर्दिष्ट करें।	
6	ब्याज सबवेंशन योजना सहायता	
	ब्याज सबवेंशन योजना के लिए विचार की गई ऋण राशि	
	आवश्यक ब्याज सबवेंशन की अवधि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक अद्यतन), जो भी पहले हो।	
	योजना के तहत मांगी गई प्रस्तावित ब्याज सबवेंशन राशि (लाख रु.)	
7	बैंक खाते का विवरण जिसमें ब्याज सबवेंशन राशि जमा की जाएगी	
	बैंक खाता नम्बर	
	आईएफएससी कोड	

यह अनुरोध है कि कृपया केंद्रीय क्षेत्र की योजना – “डेयरी उद्योग के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन” के तहत हमारे आवेदन पर विचार करें और स्वीकृत कार्यशील पूंजीगत ऋण के लिए पात्र ब्याज सबवेंशन को मंजूरी दें। हम योजना दिशानिर्देश और उसके किसी भी संशोधन में वर्णित नियमों, निबंधन और शर्तों का पालन करेंगे।

संलग्नक:

1) अनुबंध और शर्तों तथा ऋण समझौते की प्रति के साथ कार्यशील पूंजी ऋण संस्वीकृति पत्र।

घोषणा:


हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में प्रस्तुत जानकारी हमारी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। हम आगे समझते हैं कि किसी भी झूठे/गलत बयान के परिणामस्वरूप योजना के तहत ब्याज सबवेंशन राशि की अपात्र/कुल सबवेंशन राशि की अस्वीकृति/निरसन/वापसी हो सकती है और दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक:

एमडी/सीईओ/जीएम
पीए का नाम



व्याज सबवेंशन जारी करने के लिए अनुरोध

केंद्रीय क्षेत्र योजना - "डेयरी उद्योग के लिए कार्यशील पूँजीगत ऋण पर व्याज सबवेंशन"

तिमाही..... से..

दिनांक ___/___/___

1	संदर्भ व्याज सबवेंशन संस्थीकृति पत्र संख्या और तारीख	
2	भाग लेने वाली एजेंसी का नाम (पीए)	
3	वित्तीय संस्थान (एफआई) शाखा का नाम	
4	पीए के दूध बिल के भुगतानों विवरण दिनांक/माह/वर्ष की स्थिति के अनुसार सोसाइटियों/किसानों को बकाया दूध बिल का भुगतान (करोड़ रुपये)। अंतिम दूध बिल भुगतान तिथि (दिन/माह/वर्ष): दूध बिल भुगतान चक्र (दिनों की संख्या): मासिक संरक्षित कमोडिटी स्टॉक स्टेटमेंट (लाख रु.)	
5	स्टॉक मूल्यांकन तिथि (दिन/माह/वर्ष) संरक्षित वस्तु	माह
एसएमपी	ओपनिंग स्टॉक (एमटी)	
	दर (रुपये प्रति किग्रा)	
	मूल्य (लाख रु.)	
डब्ल्यूएमपी	ओपनिंग स्टॉक (एमटी)	
	दर (रुपये प्रति किग्रा)	
	मूल्य (लाख रु.)	
डब्ल्यूबी	ओपनिंग स्टॉक (एमटी)	
	दर (रुपये प्रति किग्रा)	
	मूल्य (लाख रु.)	
घी	ओपनिंग स्टॉक (एमटी)	
	दर (रुपये प्रति किग्रा)	
	मूल्य (लाख रु.)	
6	कुल मूल्य (लाख रु.) ऋण चुकौती विवरण स्टॉक मूल्य के बदले पीए को दी गई आहरण शक्ति सीमा (लाख रुपये) पीए द्वारा ली गई सीमा (लाख रु.) - ओपनिंग महीने के दौरान निकासी (लाख रुपये) महीने के लिए देय व्याज राशि	
महीने के दौरान चुकौती (लाख रु.)	मूलधन	
	व्याज (दंडात्मक व्याज और अन्य शुल्कों को छोड़कर)	
	कुल	
महीने के दौरान चुकाया गया व्याज		
बकाया ऋण (लाख रु.)-क्लॉजिंग		
योजना के अंतर्गत पात्र ऋण की बकाया राशि (लाख रु.)		
पात्र व्याज सबवेंशन (लाख रु.)		
7 योजना के तहत मांगी गई प्रस्तावित व्याज सबवेंशन राशि (लाख रु.)		000

ANIL KUMAR
अनिल कुमार
अधिकारी सचिव/Under Secretary

भारत सरकार/Government of India
मरुस्थलीय, पशुपालन व विपालन
n.of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन व विपालन विभाग
D/o Animal Husbandry & Dairying
दृष्टि विभाग, दिल्ली-110001

यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत - "डेयरी उद्योग के लिए कार्यशील पूँजी ऋण पर ब्याज सबवेंशन" के तहत महीने के लिए पात्र ब्याज सबवेंशन राशि जारी करें (_____ से _____)। प्रमाणित किया जाता है कि माह तक देय ब्याज की अदायगी पहले ही की जा चुकी है।

घोषणा:
हम प्रमाणित करते हैं कि इस आवेदन में प्रस्तुत जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है। हम आगे समझते हैं कि किसी भी झूठे/गलत बयान के परिणामस्वरूप योजना के तहत ब्याज सबवेंशन राशि की अपात्र राशि की अस्वीकृति /निरसन/वापसी हो सकती है और दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक:	द्वारा अनुशसित
एमडी/सीईओ/जीएम पीए का नाम:	शाखा प्रबंधक बैंक का नाम और पता



संजय कुमार
SANJAY KUMAR
अधिकारी/Under Secretary
शाखा सचिव/Government of India
मंत्रालय, भौतिक विषय
Min. of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying
पशुपालन और जैवी विषय
D/o Animal Husbandry & Dairying
दिल्ली-११०००१